

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक:पं0 34(5)चिस्वा/2/2018
निदेशक,(जन स्वा0),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राज0 जयपुर।

जयपुर,दिनांक 03.04.2018

विषय:-बजट घोषणा वर्ष 2017-18 के बिन्दु संख्या 225 की क्रियान्विति अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिलाडा (जोधपुर) में ट्रोमा सेन्टर खोले जाने हेतु अतिरिक्त पदों के सृजन एवं उपकरणों के क्रय की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2017-18 के बिन्दु संख्या 225 "सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिलाडा जिला जोधपुर में ट्रोमा सेन्टर खोले जाने की घोषणा" की क्रियान्विति हेतु निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ के बजट मद 2210-01-110-03-01-GH (SF) में निम्नलिखित 16 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

क.सं.	पदनाम	सृजित होने वाले पदों की संख्या
1.	कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	01
2.	चिकित्सा अधिकारी (स्नातकोत्तर सर्जरी)	02
3.	चिकित्सा अधिकारी (स्नातकोत्तर हड्डीरोग)	03
4.	नर्स श्रेणी द्वितीय	10
	योग	16

साथ ही उपकरणों हेतु राशि रु. 72.04 लाख (अक्षरे राशि रु. बहत्तर लाख चार हजार मात्र) का क्रय, RMSCL के माध्यम से किये जाने हेतु स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि RTPP Act/Rules 2013 के प्रावधानों की पूर्ण पालना करते हुए किया जावे। यह व्यय निम्नलिखित बजट मदों से अधिकृत किया जाता है:-

क. सं.	लेखाशीर्ष (राज्य निधि)	बजट घोषणा वर्ष 2017-18 के बिन्दु संख्या-225 हेतु वांछित राशि	वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत प्रावधान
1.	4210-01-110-07-01-18-METP	40.00	1641.23
2.	4210-02-789-01-90-18-METP	20.00	799.05
3.	4210-01-796-02-01-18-METP	12.04	112.77
	योग	72.04	

उक्त स्वीकृति आयोजना-वित्त विभाग की आई.डी.संख्या 425/P5/2018 दिनांक 27.03.18 एवं वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी. संख्या 151800380 दिनांक 31.03.18 के द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय,

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री/राज्य मंत्री महोदय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
2. निजी, सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा), राज0 जयपुर।
4. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडीकल सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड, राज0 जयपुर।
5. शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग।
6. शासन संयुक्त सचिव, आयोजना-वित्त विभाग।
7. उप शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग।
8. अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित)/ (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज0 जयपुर।
9. वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज0 जयपुर।
10. एकल पत्रावली डी- 313 दिनांक 22.03.18/रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ लेखाधिकारी

(20)


राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्य, राजस्थान जयपुर

कमांक:एफ-3 बिलाडा ट्रोमा/योजना/विकास/2018/ 399

दिनांक:- 10/4/18

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड, राज0 जयपुर।
2. शासन संयुक्त सचिव, आयोजना-वित्त विभाग, शासन सचिवालय, राज0 जयपुर।
3. उप शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग, शासन सचिवालय, राज0 जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित/प्रशासन/चिकित्सा प्रशासन) मुख्यालय।
5. वित्तीय सलाहकार मुख्यालय को भेजकर लेख है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिलाडा (जोधपुर) में नवसृजित ट्रोमा सेन्टर में स्वीकृत पदो को आईएफएमएस पर अपलोड करवाने का श्रम करावे एवं उपकरणो के कय हेतु स्वीकृत राशि को कार्यकारी एजेन्सी आरएमएससीएल के पी0डी0 खाते में स्थानान्तरित करवाने का श्रम करावे।
6. नोडल अधिकारी (एमएनडीवाई/एमएनजेवाई) मुख्यालय।
7. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये जोन जोधपुर।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
9. वरिष्ठ प्रबन्धक/कार्यकारी निदेशक (ईपीएम) राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम, मुख्यालय, जयपुर।
10. अध्यक्ष, श्री गंगामैया तीर्थधाम विकास समिति बाणगंगा, रोहिताश मार्ग, बिलाडा (जोधपुर)
11. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिलाडा (जोधपुर)
12. प्रभारी, सर्वररुम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभागीय वेबसाईट एवं संबंधित की ई-मेल आई0डी0 पर अपलोड करवाने का श्रम करावे।
13. आदेश/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (योजना)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये
राजस्थान जयपुर